निर्णय न्यायालय श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं. 35/2017 दावा
दायरा दिनांक :- 22-3-2017
निर्णय दिनांक :- 21.9.21

उनवान

1. सीता बाई बेवा कालूलाल जाति मीना
2. गुलाबचन्द पुत्र कालूलाल जाति मीणा
3. राकेश पुत्र कालूलाल जाति मीना निवासी खेड़ली गैंडोलिया तह. बारां

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां जिला बारां

वाद पत्र धारा – 88,89,90 RTA
निर्णय दिनांक :- 21.9.21

अभिभाषक उपस्थित :- श्री हंसराज सिंह चौहान – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 90 RTA विरुद्ध जाते वादीगण के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खेड़ली गैंडोलिया तह. बारां में ख.नं. 22 रकबा 1.29 हे. भूमि है उक्त वर्णित विवादित आराजी का खातेदार मांगीलाल पुत्र रोडूलाल जाति ब्राह्मण निवासी बारां के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। मांगीलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा उसका कोई जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं है। विवादित आराजी वादी के पिता व पति कालूलाल को उनकी नाबा. अवस्था में वर्ष 1969 में आवंटन की गई थी तब से वादीगण के पिता व पति का कब्जा काश्त चला आ रहा है था तथा उनके मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर बिना किसी रोक टोक के निर्विघ्न रूप से चला आ रहा है तथा उक्त आराजी में प्रार्थीगण [illegible] व काश्त चले आ रहे हैं। वर्तमान में भी वादीगण का [illegible] कब्जा काश्त है। मांगीलाल ने कोई विधिक कब्जा [illegible] निरन्तर कब्जे [illegible] अंकित [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
बारां

लगातार-2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

को भी खिलाफ पर आवंटन निरस्त कर दिया गया था जिसके विरुद्ध वादीगण के पिता कालूलाल द्वारा आर.ए.ए. कोटा के न्यायालय में अपील पेश की थी जो दिनांक 22.2.1975 को स्वीकार की गई तथा अधीनस्थ न्याया. का आदेश दिनांक 30.4.71 को अपास्त करते हुए कालूलाल को किया गया आवंटन बहाल रखा गया तथा दिनांक 10.6.69 को राज्य सरकार ने वादीगण के पिता व पार्टी कालूलाल के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया गया था। मांगीलाल ने पुनः 183 आर.टी.ए. की कार्यवाही न्याया. सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक बारां के यहां कार्यवाही पेश की थी। उक्त कार्यवाही की सुनवाई करते हुए गवाह सबूतों के बाद न्याया. द्वारा दिनांक 30.6.95 को उक्त वाद खारिज करते हुए वादीगण के पिता व पार्टी कालूलाल के पक्ष में निर्णय किया लेकिन उक्त आराजी ख.नं. 22 रकबा 1.29 हे. अभी भी मांगीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसे वादीगण दुरुस्त करवाकर अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादीगण व उनके पिता कालूलाल का उक्त आराजी आवंटन से पूर्व से लगभग 50 वर्ष से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः वादीगण उक्त विवादित आराजी के स्वतः ही खातेदार कृषक बन चुका है वादीगण को उक्त आराजी पर हक मुस्तकिल प्राप्त हो गया है इस कारण वादीगण उक्त विवादित आराजी को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है, वाद कारण दिनांक 1-01-2017 को प्रार्थी वादी के द्वारा वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने व धारा 91 L.R. Act की कार्यवाही करने की धमकी देने पर ग्राम खेड़ली गेंदोलिया तह. बारां जिला बारां में पैदा हुआ। वादीगण द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी तलब किया गया। प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया। वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम खेड़ली गेंदोलिया संवत 2042-45 खाता नं. 74, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2027-30, नकल नामा. सं. 98 ग्राम खेड़ली गेंदोलिया, नकल जमाबंदी ग्राम खेड़ली गेंदोलिया संवत 2034-37 खाता नं. 97, नकल जमाबंदी संवत [illegible] 45, नकल निर्णय दिनांक 30.6.95 न्याया. सहायक [illegible] मांगीलाल बनाम कालूलाल, नकल डिक्री दिनांक 30.6.95, नकल मिलान [illegible] संवत -

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested

लगातार - 3

Scanned with CamScanner

2038-57, नकल अपील सं. 2991 उनवान कालूलाल बनाम मांगीलाल निर्णय दिनांक 22.2.75 न्याया. आर.ए.ए. कोटा नकल पट्टा मेट कॉलोनी तहसील बारां, नकल आवंटन दिनांक 13.5.65 कालूलाल पुत्र रामकरण मौजा पेश किया गया। जिस को ख.नं. 25 रकबा 10 बीघा पर आवंटन हुआ पेश हुआ। वादी के PW1 सीताराम, PW2 गुलाबचन्द का शपथ पत्र पेश हुआ। प्रतिवादी के जवाब

वादी जन के वाद पत्र एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी :-

तनकी नं. 1 आया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी खातेदार ब्राह्मण निवासी बारां के मांगीलाल पुत्र रोडूलाल जाति ~~ब्राह्मण~~ का स्वर्गवास नाम खातेदारी में दर्ज है तथा खातेदार मांगीलाल का स्वर्गवास हो गया है व उसका कोई जायज वारिस व उत्तराधिकारी नहीं है

वादी

तनकी नं. 2 आया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ~~आराजी~~ वादी जन के पिता व पति कालूलाल को उनकी नाबालिग अवस्था में वर्ष 1969 में आवंटित हुई थी तब से वादीजन के पिता व पति का कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा उनके मरने के बाद वादीजन का कब्जा काश्त निरन्तर बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है वर्तमान में भी वादीजन का ही कब्जा काश्त है

वादीजन

तनकी नं. 3 आया कि मांगीलाल ने कालूलाल को हुए आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपील पेश की जिसको न्याया. आर.ए.ए. कोटा द्वारा दिनांक 22.2.75 को निर्णय पारित कर कालूलाल को किया गया आवंटन बहाल रखा तथा दिनांक 10.6.69 को वादीजन के पिता व पति कालूलाल के पक्ष में पट्टा जारी किया गया।

वादीजन

तनकी नं. 4 :- आया कि मांगीलाल ने 183 RTA की कार्यवाही पेश की जो न्याया. सहायक कलक्टर बारां द्वारा दिनांक 30.6.85 को निरस्त की गयी लेकिन उक्त आराजी वर्तमान में मांगीलाल के नाम दर्ज होते हैं। जिसे वादी जन दुरुस्त करवाकर अपने खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादीजन

तनकी नं. 5 :- आया कि वादी जन व उनके पिता का उक्त आराजी पर आवंटन के बाद से निरन्तर [illegible] काश्त चला आ रहा है अतः वादी जन एक गुरुवा[illegible] विवादित आराजी अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के [illegible]कारी एवं मालिक है

वादीजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

लगातार - 4

Scanned with CamScanner

तनकी नं. 6 : आया कि खातेदार लाओलाद फौत होने से तथा वारिसान नहीं होने से समस्त राजगामी किये जाने का अवधान है। इसका वाद पर क्या असर है? भार वादी

बहस अभिभाषक वादी श्री गर्ग वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई/लिखित बहस में बताया कि ग्राम केली मंडोलिया तह. बारां के खाता नं. 108 वर्तमान ख.नं. 22 रकबा 1.29 हे. जमाबंदी सं. 2070-73 में अंकित है उक्त आराजी का खातेदार मांगीलाल पुत्र रोडूलाल जाति ब्राह्मण निवासी बारां तह. बारां के नाम दर्ज है इसका स्वर्गवास हो चुका है इसका रिकार्ड में अंकित है मांगीलाल का कोई जायज वारिस व उत्तराधिकारी नहीं है वादीगण के पिता व पति कालूलाल को उनकी नाबालिग अवस्था में वर्ष 1989 में आवंटन उक्त आराजी की गई थी तब से वादीगण के पिता व पति का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उनके मरने के बाद वादीगण का कब्जा काश्त निरंतर बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है तथा वादीगण उक्त आराजी में प्रतिवर्ष फसल बोते व काटते चले आ रहे हैं वर्तमान में भी वादीगण का ही उक्त विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। मांगीलाल ने कोर्ट कलक्टर के यहां आवंटन निरस्त करवाने हेतु अपील पेश की थी जिस पर आवंटन निरस्त कर दिया था। जिसके विरुद्ध वादीगण के पिता व पति कालूलाल द्वारा आर.ए.ए. कोटा के न्यायालय में अपील पेश की थी जो दिनांक 22.2.1975 को स्वीकार की गई तथा अधीनस्थ न्याया. का आदेश 30.4.1971 को अपास्त करते हुए कालूलाल को किया गया आवंटन बहाल रखा गया तथा - दिनांक 10.6.1969 को राज्य सरकार ने भी वादीगण के पिता व पति कालूलाल के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया गया था। मांगीलाल ने पुनः 183 RTA की कार्यवाही न्याया. सहायक कलक्टर बारां के यहां कार्यवाही की थी उक्त कार्यवाही की सुनवाई करते हुए गवाह सबूत के बाद न्यायालय द्वारा 30.6.85 को उक्त वाद खारिज करते हुए वादीगण के पिता व पति कालूलाल के पक्ष में निर्धारित किया लेकिन उक्त आराजी ख.नं. 22 रकबा 1.29 हेक्टेयर आज भी मांगीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि हक वादीगण दुकान कब्जाकाश्त खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण व उनके पिता कालूलाल का उक्त आराजी

लगातार - 5

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आवंटन से पूर्व से लगातार 30 वर्ष से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः वादीगण उक्त विवादित आराजी के स्वतः ही खातेदार कृषक बन चुका है। वादीगण को उक्त आराजी पर हक मुखालफाना भी प्राप्त हो गया है इस कारण वादीगण उक्त आराजी को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे। बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण के वाद का तनकी वार निस्तारण निम्न प्रकार किया जाता है:—

तनकी नं.1 इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण को था। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम खेड़ली भैंडोलिया सम्वत 2042-45 से मांगीलाल पुत्र रोडूलाल जाति ब्राह्मण के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है तहसीलदार बारां द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार खातेदार बिना औलाद के फौत हुआ है वारिसान का नहीं होने पर सम्पत्ति राजगामी किये जाने का प्रावधान है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी मृतक मांगीलाल के खातेदारी में है तथा मृतक मांगीलाल के कोई जायज वारिस नहीं होने के कारण विवादित आराजी राज्य सरकार के खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिये। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी नं.2 इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत नकल आवंटन पत्र दिनांक 13.5.1969 के अनुसार ख.नं. 25 रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन कालू पुत्र रामकरण मीणा निवासी खेड़ली भैंडोलिया को ~~किया~~ आवंटन कमेटी द्वारा किया जाना पाया जाता है नकल निर्णय दिनांक - 30.6.1995 मु.नं. 94/88 दावा धारा 183 RTA उनवान मांगीलाल बनाम कालू पुत्र रामकरण से वादी का वाद खारिज किया गया तथा विवादित भूमि पर प्रार्थी वादी का कब्जा चला आ रहा है इससे यह साबित होता है कि विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त आवंटन से पूर्व चला आ रहा है। प्रकरण नं. 63/88 प्रा. पत्र उनवान मांगीलाल बनाम कालू निर्णय दिनांक 29.7.89 के अनुसार प्रार्थी मांगीलाल का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा प्रार्थना पत्र [illegible] करने के दो आधार बताये गये प्रथम अप्रार्थी (वादी) [illegible] उक्त आराजी पर काबिज है द्वितीय मान. न्याया. राजस्व [illegible] कोर्ट के निर्णय दिनांक

लगातार-6

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

22.2.1975 द्वारा अप्रार्थी कालू को दिनांक 13.5.1969 को किया गया आवंटन बहाल रखा गया है इससे यह साबित होता है कि वादी का कब्जा आवंटन से पूर्व का ही चला आ रहा है प्रति वादी का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा कायम नहीं होना है व प्रति वादी मांगीलाल धारा 182 RTA व विवादित भूमि को रिसीवर कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करना इससे वादी का कब्जा कायम निरंतर चला आ रहा होना साबित होता है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी नं. 3</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी संवत 2027-30 के अनुसार मांगीलाल का इन्द्राज नं. 14 में मोहरनिशान का रोड़ ग्राम, अमरीलाल पुत्र भैरूलाल खाती के आदेश ADM कोर्ट नोट अंकित है खसरा गिरदावरी के कालम नं. 17 में आदेश ADM कोर्ट दिनांक 28.6.71 से कालू का दिनांक 10.6.69 एवं आदेश तहसीलदार बारां दिनांक का नोट अंकित एलोटमेन्ट निरस्त होकर मांगीलाल का आवंटन बहाल का नोट अंकित है भी मान. न्याया. अति. जिला कलक्टर कोर्ट द्वारा वादी कालूलाल का आवंटन निरस्त किया गया जिसकी अपील वादी द्वारा मान. न्याया. राजस्व अपील प्राधिकारी कोर्ट में की गई मान. न्याया. द्वारा अति. जिला कलक्टर कोर्ट का निर्णय अपास्त कर वादी कालू का आवंटन बहाल रखा गया। इससे यह साबित होता है कि अति. जिला कलक्टर कोर्ट के निर्णय दिनांक 30.4.1971 की अपील मान. न्याया. भू-प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी कोर्ट में की गई मान. न्याया. द्वारा निर्णय दिनांक 22.2.1975 से अति. जिला कलक्टर कोर्ट का निर्णय अपास्त कर वादी कालू का आवंटन बहाल रखा गया। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी नं. 4</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। नकल न्याया. सहायक कलक्टर बारां के निर्णय दिनांक 30.6.1995 मु. नं. 94/88 दावा धारा 183 RTA उनवान मांगीलाल बनाम कालू के अनुसार वादी मांगीलाल का वाद खारिज किया गया। जमाबन्दी ग्राम पडली मेडोलिया संवत 2042-45 के अनुसार प्रार्थी वादी मांगीलाल के खातेदारी में दर्ज है उक्त विवादित भूमि का आवंटन 30.4.1964 को प्रार्थी वादी मांगीलाल को किया गया था। मांगीलाल द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने पर प्रार्थी वादी का आवंटन [illegible] वादी को 13.5.69 से आवंटन कर दी गई। परन्तु भूमि [illegible] हो चुकी थी। तहसीलदार द्वारा आवंटन [illegible] भूमि विवादास्पद दर्ज करनी चाहिये

(लगातार)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

थी परन्तु तहसीलदार द्वारा नियमानुसार दर्ज नहीं की गई और वादी को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन कर दी गई थी। वादी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है आवंटन दिनांक 13.5.1969 के आधार पर एवं मान. राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 22.2.1975 के आधार पर वादी विवादित भूमि की खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 5 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। प्रस्तुत तहसील - नायब तहसीलदार बारां के निर्णय दिनांक 29.7.89 मु. नं. 63/88 प्रार्थना पत्र उन्वान मांगीलाल बनाम कालू के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। प्रार्थना पत्र खारिज करने के आधार बताये गये है प्रथम आधार अप्रार्थी कालू का विवादित आराजी पर काबिज है तथा द्वितीय आधार मान. राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 22.2.75 द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 13.5.69 को किया गया आवंटन बहाल रखा गया है। इससे यह साबित होता है कि वादी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है वादी आवंटन दिनांक 13.5.69 के आधार पर एवं मान. राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 22.2.75 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 6 इस तनकी को साबित करने का भार प्रार्थी वादी पर था प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के अनुसार खातेदार लाओलाद फौत होना तथा उनके कोई वारिस नहीं होने के कारण भूमि राजगामी करने का प्रावधान होना बताया है भूमि खातेदार मांगीलाल लाओलाद फौत होना बताया है तथा तहसीलदार द्वारा भूमि नियमानुसार दर्ज नहीं की गई है यदि भूमि नियमानुसार दर्ज कर दी जाती है तो भी वादी को किया गया आवंटन मान. राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा बहाल रखा गया है। इसलिए विवादित भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज करने के अधिकारी है मांगीलाल को किया गया आवंटन खारिज होने पर वादी को भूमि का आवंटन किया गया था वादी को किया गया आवंटन भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है वादी विवादित भूमि पर खातेदारी अधि[illegible] अधिकारी है अतः यह तनकी प्रार्थी वादी [illegible] निर्णित की जाती है —x—

लगातार - 8

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपरोक्त तकमीलात के विवेचनानुसार यह तथ्य सामने आये है कि विवादित आराजी ख.नं. 25 रकबा 10 बीघा, पूर्व दिनांक 30.4.64 को मांगीलाल पुत्र रोडू ब्राह्मण को आवंटन हुई थी। मांगीलाल द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने पर मांगीलाल का आवंटन निरस्त कर वादी कालू को दिनांक 13.5.69 को आवंटन कर दिया गया। गैर खातेदार कालू मीणा का आवंटन मान. न्याया. अति० जिला कलक्टर कोटा द्वारा दिनांक 30.4.71 को निर्णय पारित करते हुए वादी कालू का आवंटन निरस्त (खारिज) किया गया। वादी कालू द्वारा मान. न्याया. के निर्णय दिनांक 30.4.71 की अपील मान. न्याया. राजस्व अपील अधिकारी कोटा मे की गयी। मान. न्याया. राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 22.2.75 से अति० जिला कलक्टर कोटा का निर्णय दिनांक 30.4.71 अपास्त कर वादी कालू का आवंटन बहाल रखा गया। मांगीलाल द्वारा कालू के विरुद्ध 1988 में वाद नं. 94/88 धारा 183 RTA अन्तर्गत मांगीलाल बनाम कालू पेश किया गया जो दिनांक 30.6.95 को खारिज किया गया। मांगीलाल द्वारा प्र.सं. 63/88 प्रा. पत्र उनवान मांगीलाल बनाम कालू रिवीजन प्रा. पत्र प्रस्तुत किया जो न्याया. सहायक कलक्टर बारां द्वारा निर्णय दिनांक 29.7.89 को खारिज किया गया तथा प्रार्थना पत्र निरस्त करने के ये आधार बताये। प्रथम कालू पुत्र रामकरण विवादित आराजी पर काबिज है द्वितीय मान. न्याया. राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 22.2.75 द्वारा अपीलार्थी को यानि कि कालू को दिनांक 13.5.69 को किया गया आवंटन बहाल रखा गया है तथा तहसीलदार बारां के नकल अनुसार खातेदार मांगीलाल लावारिस फौत हो चुका है। विवादित आराजी पर मान. न्याया. आर ए ए कोटा के निर्णय दिनांक 22.2.75 एवं वादी कालू को दिनांक 13.5.69 को किया गया आवंटन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी० का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम खड़ली गेंदोलिया तह० बारां के ख.नं. 22 रकबा 1.29 हे० पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा मांगीलाल का नाम खाते से खारिज किया जाता है तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जा कर [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी - बारां

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

35/17	धारा अंतर्गत 88, 89, 90 RTA	निर्णय दिनांक 21.9.21
श्री दिनेश शर्मा आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री हनुमानसिंह चौहान	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

1. सीताबाई बेवा बाबूलाल जाति मीना
2. सुरेशचन्द पुत्र बाबूलाल जाति मीना
3. राकेश पुत्र बाबूलाल जाति मीना निवासी खेडली गेंदोरिया तह. बारां

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप आराजी वाके उक्त खेडली गेंदोरिया तह. बारां के ख.नं. 22 रकबा 1.29 हे. पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा नामांतरण का नाम खाते में खोलने किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू० का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 21.9.21 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner